तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/08/23	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी तामील कराए जाने का नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इजलास अंदर आगामी दिनांक- 16/10/23 को पेश हो।
16/10/2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली इजलास हाजर। दिनांक 19/12/23 को पेश हो।
19/12/23	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान-पत्र, आय ~~आधार~~ प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम उत्तमचंद है जबकि प्रार्थी के पिता के नाम भरा गया नामान्तरकरण में प्रार्थी के पिता का नाम धीगड़मल पुत्र राणमल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम उत्तमचंद है इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में धीगड़मल के स्थान पर उत्तमचंद किये जाने का आदेश किया जावे। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया. बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थी**

1. भूपेश जैन पुत्र उत्तम चन्द जैन — तहसीलदार, गिड़ा
2. रीता कोठारी पुत्री उत्तम चन्द जैन
   जाति जैन निवासी कसुम्बला भाटियान
   तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

निर्णय

दिनांक : 19/12/2023

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 13.1280 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त पैतृक भूमि में प्रार्थीगण के दादा राणमल के फौतगी नामान्तरण भरते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम उत्तम चन्द के स्थान पर धींगड़मल अंकित कर दिया गया। अतः राजस्व रेकर्ड में धींगड़मल के स्थान पर उत्तम चन्द पुत्र राणमल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम उत्तम चन्द ही है। अत : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 13.1280 हैक्टेयर में धींगड़मल पुत्र राणमल के स्थान पर उत्तम चन्द पुत्र राणमल राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला बालोतरा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु